फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

सुरेश कुमार वगै. बनाम कमली वगै.

किस्म मुकदमा राजस्व वाद नं. 21 / सन् 2022

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
वकील वादी उपस्थित। अधिवक्ता श्री महेन्द्र प्रजापत जैतारण ने एक राजस्व वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88,92ए RT Act तथा 136,128 LR Act के तहत पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र धारा 80 (2) सीपीसी का भी पेश किया हैं जो सामिल मिसल हो। हस्ब प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण संख्या 7 के विरुद्ध वाद पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनस तलब किये जावे। तहसीलदार जैतारण से वादग्रस्त आराजी के संबंध में राजस्व रेकर्ड ऑनलाईन करने से पूर्व व बाद के भू अभिलेख व मौका स्थिति की जांच रिपोर्ट लेना उचित समझते हैं। अतः तहरीर जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 23.03.2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)	104 15/3/22 107 18/3/22
पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादीगण को बार बार आवाजे दिलाई गई। आज प्रति. वादीगण तामील कामिल। ... के मध्य रहे हो। आज वकील द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रा. आयन्दा दिनांक 17/5/22 को पेश हो।	
वकील मन वादी नं. 01 द्वारा पत्रावली तलब कर वाद विड्रोल स्वीकार हेतु प्रा. पत्र पेश करने से पत्रा. आज पेश हुई। वकील मन वादी नं. 01 ने ब्यान पेश किया कि माननीय अदालत की आज्ञा से पुनः नया वाद पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए वाद विड्रोल स्वीकार करने की प्रार्थना की है। अतः पुनः नया वाद पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए वादीगण का वाद नोट विड्रोल स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:46:42 IST
Reason: SelfAttested